स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014

(1) **संगठन, कार्य एवं कर्तव्य का ब्यौरा** :- यह एक राज्य सरकारी विभाग है। यह उन स्थानीय निधियों की आय/व्यय का अंकेक्षण कार्य करता है जो साधारणतयः राज्य की संचित निधि का हिस्सा नहीं है और जिनका महालेखाकार द्वारा अंकेक्षण नहीं किया जाता है। विश्वविद्यालयों, हि0प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड, विपणन बोर्ड तथा पांच प्रमुख विपणन समीतियों में अंकेक्षण का कार्य पूर्व अंकेक्षण प्रणाली के अंतर्गत किया जाता है। महालेखाकार द्वारा साधारणतयः इन संस्थाओं का अंकेक्षण नही किया जाता है। यह विभाग निम्नलिखित संस्थाओं के अंकेक्षण कार्य के लिए उत्तरदायी हैः-

क्रम संख्या	संस्थाओं /निधियों का नाम
1	हिमाचल प्रदेश विश्व विद्यालय शिमला
2	चौ0 सरवन कुमार कृषि विश्व विद्यालय पालमपुर हिमाचल प्रदेश
3	डा0 यशवन्त सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, सोलन
4	हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड
5	हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड
6	विपणन समितियां
7{ए}	राजकीय शिक्षण संस्थान {विद्यार्थी निधि}
{बी}	विद्यालय एवं महाविद्यालय के संचयिका लेखे
8	हिमाचल प्रदेश हिन्दू लोक धार्मिक संस्थान व धर्मार्थ अक्षय निधि
9	हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण
10	नगर निगम शिमला
11	नगर परिषदे/नगर पंचायतें
12	हि0प्र0 बहुतकनीकी संस्थान व औ0 प्रशिक्षण संस्थान
13	हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड
14	हिमाचल प्रदेश वैधिक सेवाएं प्राधिकरण
15	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड
16	मत्स्य एवं कृषक विकास एजेंसी

17 हि0प्र0 हाम्योपैथी परिषद

18 हिमाचल प्रदेश कला, संस्कृति एवं भाषा अकादमी

19 मुख्यमन्त्री राहत कोष/जिला राहत कोष

20 मुख्यमन्त्री के सैनिक कल्याण कोष

21 हिमाचल प्रदेश सचिवालय कैनटीन

22 मेला एवं उत्सव

23 हिमाचल प्रदेश पशु चिकित्सा परिषद

24 आर्युवैदिक एवं यूनानी चिकित्सा पद्वति बोर्ड

25 रक्षा सैन्य बल हितकारी निधि झंडा रोहण दिवस निधि

26 राज्य सैनिक बोर्ड़ विशेष निधि आर.आर. सैनिक विश्राम निधि

27 सभी जिलों में लघुबचत पारितोषिक निधि,जिला खेल ,सेस्कृति शिक्षा पुस्तकालय और अन्य विकास निधि

28 ई-गर्वनेन्स

29 इन्दिरा गांधी खेल परिसर, शिमला

30 पर्वतारोहण एवं सहायक खेल संस्थान मनाली

31 हिम कॉपस (HIMCOPS)] शिमला

नोटः- स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त संस्थाओं का अंकेक्षण कार्य सम्बन्धित संस्था के अधिनियम/नियमों इत्यादि के अधीन किया जाता है जिसका विवरण परिशिष्ट- (अ) में दिया गया है।

(2). अधिकारियों/कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य :- विभाग, प्रधान सचिव(वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार के पूर्ण प्रशासनिक नियन्त्रण में कार्य करता है।

निदेशक एवं परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा :- विशेष सचिव(वित्त) निदेशक एवं परीक्षक स्थानीय निधि लेखा विभाग हि0प्र0 के पद का कार्यभार संभालते है।

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के मुख्यालय में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी :-

अतिरिक्त निदेशक :- वह कार्यालय का मुखिया होने के साथ विभाग में अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के नियन्त्रण अधिकारी भी है।

उप निदेशक-1 :- वह तकनीकी शाखा के प्रभारी हैं। वह हिमुडा के अंकेक्षण कार्य तथा तीनो विश्वविद्यालयों व हि0प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला, शहरी निकायों एवं जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के शैक्षणिक संस्थानों के अंकेक्षण प्रतिवेदनों की विधीक्षा तथा उच्च प्राधिकारी द्वारा आबंटित अन्य कार्य के लिए उतरदायी है।

उप निदेशक-2 :- वह विपणन बोर्ड शिमला, सभी विपणन समितियों,मन्दिर न्यासों, ई-गर्वनेन्स, तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला एवं जिला चम्बा, ऊना, और कांगडा तथा अन्य प्रमुख विविध संस्थाओं के अंकेक्षण प्रतिवेदनों की विधीक्षा तथा उच्च प्राधिकारी द्वारा आबंटित अन्य कार्य के लिए उतरदायी है।

सहायक निदेशक :- वह विभाग के आहरण एवं संवितरण अधिकारी हैं एवं संस्थापना व लेखा शाखा के प्रभारी है। वह सरकारी पाठशालाआ/महाविद्यालयों, औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थानों/बहुतकनीकी संस्थानों एवं जिला कुल्लू, मण्डी, बिलासपुर, हमीरपुर, लाहौल स्पिति और कांगड़ा जिले के देहरा वृत तथा अन्य लघु विविध संस्थाओं के अंकेक्षण प्रतिवेदनों की विधीक्षा तथा उच्च अधिकारियों द्वारा समय-समय पर आबंटित अन्य कार्य के लिए उतरदायी है।

***अनुभाग अधि*कारी (स्थापना) :-** वह प्रशासनिक तथा लेखा अनुभाग का कार्यभार देखते है।

अनुभाग अधिकारी(तकनीकी शाखा) :- वह मुख्यालय में तकनीकी अनुभाग का कार्यभार देखते है।

कनिष्ठ लेखा परीक्षक :- वे मुख्य कार्यालय में लेखा, स्थापना एवं तकनीकी अनुभाग में सम्बन्धित सहायक का कार्य करते हे।

लिपिक :- प्रारूपों को टंकित करने तथा अंकेक्षण प्रतिवेदनों का मिलान करना व प्राप्ति एवं प्रेषण कार्य करते है।

निवासी अंकेक्षण योजनाओं के कार्यरत अधिकारी :- संयुक्त नियन्त्रक/उप नियन्त्रक/सहायक नियन्त्रक और अनुभाग अधिकारी विश्वविद्यालयों, स्कूल शिक्षा बोर्ड/विपणन बोर्ड, विपणन समीतियों में निवासी अंकेक्षण योजनाओं के प्रभारी अधिकारी होते हैं। ये अधिकारी पूर्व अंकेक्षण प्रणाली के अंतर्गत कार्य करते हैं तथा वहां तैनात अपने अधीनस्थ स्टाफ के कार्यों का निपटारा करते है।

निवासी अंकेक्षण योजनाओं में कार्यरत कनिष्ठ लेखा परीक्षक :- निवासी अंकेक्षण योजनाओं में कार्यरत कनिष्ठ लेखा परीक्षक निवासी अंकेक्षण योजनाओं का पूर्वाकेक्षण एवं उतरांकेक्षण कार्य करते है।

वृतों में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी :- स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के अंकेक्षण क्षेत्राधिकार में आने वाली संस्थाओं के उतराकेक्षण कार्य को अंकेक्षण वृतों में कार्यरत सहायक नियन्त्रक/ अनुभाग अधिकारी/कनिष्ठ लेखा परीक्षक करते हैं। इसके अतिरिक्त संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक भी विभाग द्वारा हिमुडा और अन्य बडी संस्थाओं के विशेष अंकेक्षण दलों द्वारा किये गये कार्य का निरीक्षण करते है।

(3) निर्णय एवं उतरदायित्व माध्यम सहित :-

विभाग में प्राप्त समस्त पत्राचार को सम्बन्धित सहायक(कनिष्ठ लेखा परीक्षक)/लिपिक जो अनुभाग अधिकारी, सहायक निदेशक जो भी स्थिति हो, समक्ष सम्बन्धित नस्ति प्रस्तुत करते हैं और मामलों का अतिरिक्त निदेशक, निदेशक या प्रधान सचिव(वित्त) हि0प्र0 सरकार के स्तर पर अन्तिम निपटारा किया जाता है। निवासी अंकेक्षण योजनाओं में पूर्वांकेक्षण एवं उतरांकेक्षण की कार्यवाही करके कनिष्ठ लेखा परीक्षकों द्वारा अनुभाग अधिकारी/सहायक नियन्त्रक, उप

नियन्त्रक/संयुक्त नियन्त्रक जैसी भी स्थिति हो, में जांच एवं अन्तिम निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाता है। मामले की प्रकृति के अनुसार वृतों में तैनात अंकेक्षण दलों को मौके पर ही मामलों का निपटारा करना होता है जबकि निवासी अंकेक्षण योजनाओं में कार्यरत स्टाफ एवं वृतों में तैनात अंकेक्षण दल पूर्ण रूप से विभागीय मुख्य कार्यालय के नियन्त्रण एवं निरीक्षण में कार्य करते हे।

(4) <u>कार्य का निपटारा करने हेतु तय किए गए मानक :-</u> विभाग द्वारा पूर्वांकेक्षण एवं उत्तरांकेक्षण कार्य निपटाने के लिए तैयार मानक अंकेक्षण स्टाफ को जारी किए जाते हैं। विभाग द्वारा निम्नलिखिम मानक तय किए गए है:-

1. अंकेक्षण कार्य हेतु समय
2. अंकेक्षण शुल्क की दरें
3. विभिन्न संस्थाओं के पूर्वांकेक्षण एवं उत्तरांकेक्षण के लिए अंकेक्षण कार्य की सीमा तय करना।
4. अंकेक्षण में विस्तृत जांच हेतु चयनित मासों के लिए माप दण्ड।
5. विभाग अपने अंकेक्षण क्षेत्राधिकार की संस्थाओं के पूर्वाकेक्षण एवं उतरांकेक्षण का कार्य उनके एक्ट/नियम पुस्तक/विधेयक/परिनियमों/सम्बन्धित संस्थाओं जो सरकार द्वारा/संस्थाओं को समय समय पर जारी दिशानिदेर्शो तथा निर्धारित प्रक्रियाओं के अन्तर्गत किया जाता है।

(5) <u>विभाग के नियन्त्रण में नियम, विनियम, दिशानिर्देश नियम पुस्तकें और अभिलेख</u> :- विभाग के नियम, दिशा निर्देशों जो दैनिक कार्य को निपटाने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए जाते हैं, का पालन करता है।

(6) <u>विभाग के नियन्त्रण में दस्तावेजों की श्रेणी का विवरण :-</u>

(1) कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धी अभिलेख.

(2) विभाग के कार्य क्षेत्र में आने वाली संस्थाओं के अंकेक्षण प्रतिवेदन।

(3) स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन।

(4) विभाग के अंकेक्षण क्षेत्राधिकार के अधीन संस्थाओं से देय अंकेक्षण शुल्क की वसूली से सम्बन्धित मांग एवं वसूली अभिलेख।

(7) <u>किसी व्यवस्था का विवरण जो परामर्श अथवा जनता के सदस्यों के आवेदन नीति अथवा उसके प्रशासन की रचना के विद्यमान हो।</u>

विभाग अपने क्षेत्राधिकार के अधीन व सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपे गए विशेष अंकेक्षण कार्य के लिए उतरदायी है तथा जनता के साथ प्रत्यक्ष सम्पर्क नही रखता है।

(8) <u>बोर्ड, परिषद समितियां एवं अन्य निकायों जिनका गठन दो अथवा अधिक व्यक्तियों द्वारा परामर्श एवं उन बोर्ड, परिषद, समितियों तथा अन्य निकायों जो सार्वजनिक हो या जिनकी बैठकों की कार्यवाही जन साधारण के लिए हो, का विवरण</u> :-

सम्बन्धित सूचना शून्य समझी जाए क्योंकि अभी तक इस विभाग में कोई बोर्ड, कौंसिंल समीति या दो से अधिक लोगों द्वारा संस्था नहीं बनाई गईं है।

(9) <u>अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्देशिकाः-</u> स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग से निर्देशिका परिशिष्ट (ब) में संलग्न है।

<u>(10). विभाग के प्रत्येक अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक मानदेयः-</u>

हि0प्र0 सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमान ही इस विभाग द्वारा लागू किए गए है। वेतनमान से ज्यादा या अलग कोई भी मानदेय लागू नही किया गया है तथापि विभाग में विभिन्न पदो के पे बैण्ड तथा ग्रेड पे से सम्बन्धित विवरण **परिशिष्ट-स** में दिया गया है। विभाग में लगाए गए आर्टीकल सहायकों को वृतों में अंकेक्षण कार्य करने हेतु सरकार द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार मु0 500/- रू0 प्रति कार्य दिवस की दर से मानदेय दिया जाता है।

(11)<u> विभाग की विभिन्न एजेंन्सी को आबंटित बजट में इसकी सभी योजनाओं अनुमानित व्यय और उसके संवितरण का प्रतिवेदन।</u>

विभाग को अपनी स्थापना व सम्बन्धित व्यय करने के लिए बजट आबंटित किया जाता हे। विभाग के नियन्त्रक/अधीन कोई भी एजेन्सी कार्यशील नही है जिसे विभाग या सरकार द्वारा बजट का आबंटन किया जाता है।

<u>(12) पावती में छूट, अनुक्षपति या प्राधिकरण प्रदान करने का विवरणः-</u> इस विभाग द्वारा कोई भी छूट, अनुज्ञप्ति या प्राधिकार प्रदान नहीं किया जाता है।

(13)<u> अनुदान कार्यक्रमों जिसमें लाभार्थियों को अनुदान आबंटित किए गए के, निर्धारित तरीके से निष्पादन</u>ः-सम्बन्धित सूचना शून्य समझी जाए क्योंकि अभी तक इस विभाग में कोई अनुदान कार्यक्रम प्रचलित नहीं है।

(14)<u> सूचना जिसका विस्तृत विवरण मोजूद है या रखा गया है, को इलैक्ट्रोनिक फार्म में तबदील करके कम करना :-</u> वर्तमान में विभाग में हस्तलिखित व टंकण पद्धति द्वारा अभिलेख रखा जाता है तथा धीरे-2- अभिलेख को इलैक्टोनिक फार्म में तबदील करने हेतु सुविधाएं जुटाई जा रही हैं।

(15) <u>सूचना प्राप्त करने से सम्बन्धित जनता के लिए सुविधा पुस्तकालय, अध्ययन कक्ष सहित यदि जनता के उपयोग के लिए बनाई गई हो.</u>

सभी नागरिक विभाग से सूचना के अधिकार अधिनियम के अधीन सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तथापि इस विभाग में जनता की सुविधा के लिए कोई पुस्तकालय व अध्ययन कक्ष नहीं है ।

(16)<u>. स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 में अपील प्राधिकारी, जन सूचना अधिकारी और सहायक जन सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम व अन्य विवरण</u>

<u>मुख्यालय कार्यालय :-</u>

क्र0 सं0	जन सूचना अधिकारी/सहायक जन सूचना अधिकारी, पीआईओ/एपीआईओ	कार्यालय का पूरा पता	कार्यालय दूरभाष सं0
1	श्री राजेश शर्मा, निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा	स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग	0177-2620757

	विभाग,अपील प्राधिकारी		
2	श्री अनिल दत्त शर्मा, अतिरिक्त निदेशक जन सूचना अधिकारी	-यथोपरि	0177-2620046
3	श्री बसन्त सिंह कंवर, उप निदेशक, सहायक जन सूचना अधिकारी	-यथोपरि	0177-2620881

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 की निवासी अंकेक्षण योजनाओं में जन सूचना अधिकारी

क्र0सं0	निवासी अंकेक्षण योजना का नाम	पदनाम	कार्यालय दूरभाष सं0
1	निवासी अंकेक्षण योजना, चौ0 सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर	संयुक्त नियन्त्रक/उप नियनत्रक (ले0प0)	01894-230354
2	निवासी अंकेक्षण योजना, हि0प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला.	संयुक्त नियन्त्रक/उप नियनत्रक (ले0प0)	01892-229333
3	निवासी अंकेक्षण योजना, हि0प्र0 विश्वविद्यालय	संयुक्त नियन्त्रक/उप नियनत्रक (ले0प0)	0177-2830892
4	निवासी अंकेक्षण योजना, डा0वाई0एस0परमार औ0 एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, सोलन.	संयुक्त नियन्त्रक/उप नियनत्रक (ले0प0)	01792-252171
5	निवासी अंकेक्षण योजना, हि0प्र0 विपणन बोर्ड खलीनी,शिमला-2	सहायक नियन्त्रक(ले0प0)	0177-2621316
6	निवासी अंकेक्षण योजना, विपणन समिति शिमला एवं किन्नौर स्थित ढली, शिमला-12.	अनुभाग अधिकारी(ले0प0)	0177-2841167
7	निवासी अंकेक्षण योजना, विपणन समिति सोलन	अनुभाग अधिकारी(ले0प0)	01792-230459
8	निवासी अंकेक्षण योजना, विपणन समिति कांगडा	अनुभाग अधिकारी(ले0प0)	01892-265195
9	निवासी अंकेक्षण योजना, विपणन समिति मण्डी	अनुभाग अधिकारी(ले0प0)	01907-265592
10.	निवासी अंकेक्षण योजना, विपणन समिति कुल्लू.	अनुभाग अधिकारी(ले0प0)	01902-222208

<u>महत्वपूर्ण सम्पर्क दूरभाष नं0</u>

क्र0 सं0	अधिकारी का नामव पदनाम	विभाग का नाम	कार्यालय दूरभाष सं0	आवास दूरभाष सं0
1	श्री राजेश शर्मा, निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग अपील प्राधिकारी	स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग	0177-2620757	9418381433
2	श्री अनिल दत्त शर्मा, अतिरिक्त निदेशक जन सूचना अधिकारी	-यथोपरि	0177-2620046	9418083689

(17) दूसरी अन्य सूचनाऐं जैसे कि अधिनियम में अधिसूचित की गई हैं । ''शून्य''

<u>विभाग की दूसरी अन्य महत्वपूर्ण सूचनाऐं</u> :-

1. *<u>अंकेक्षण की स्थिति :</u>*

प्रतिवेदन अवधि के दौरान विभाग द्वारा कुल 246 संस्थाओं का अंकेक्षण किया गया है।

2. <u>स्टाफ स्थिति :</u>

दिनॉक 31.03.2014 को विभाग में सृजित कुल 130 पदों के विरूद्ध 103 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत थे तथा 27 पद रिक्त थे ।

3. आर्टिकल सहायकों की एम्पेनलमैंट :

सरकार द्वारा आर्टिकल सहायकों की एम्पैनलमैंट करने की नीति बनाई गई है जिसके लिए वाणिज्य पृष्ठभूमि वाले स्नातक/स्नातकोतर उम्मीदवारों की नियत कार्य (assignment) के आधार पर तैनाती की गई है।

4. आय व्यय की स्थिति :

प्रतिवेदन अवधि में विभाग की आय-व्यय की स्थिति इस प्रकार थी :

वर्ष	विभाग की बजट/व्यय राशि	अंकेक्षण शुल्क स्वरूप अर्जित राजज्व प्राप्ति	व्यय के विरूद्ध अर्जित आय का प्रतिशत
2013-14	5.71	1.91	33.45

5. वर्ष 2013–14 में पाई गई गम्भीर अनियमितताएं :–

वर्ष 2013–14 में जारी किए गए विभिन्न संस्थाओं के अंकेक्षण प्रतिवेदनो के आधार पर निम्नलिखित गम्भीर अनियमितताएं पाई गई :

1. नगर निगम शिमला–4/2010 से 03/2011

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹ (लाख)
8	अग्रिम राशियों का समायोजन न करना	2689.15
9	विभिन्न कर दाताओं से कर की वसूली न करना	1147.67
12(1)(b)	विभिन्न वर्ग को वेतन एवं भत्तों का अनियमित भुगतान	216.24
12(2)(C)	ल्वर सैस की कटौती व जमा न करना	1.77
12(3)(a)	सर्विस प्राप्त कर्ता से बिना वसूली के सर्विस टैक्स जमा करने पर अनियमित व्यय	20.89
13(a)	पैंशनरी लाभ का अधिक भुगतान	1.11

2. नगर परिषद धर्मशाला – अवधि 4/2010 से 03/2012

	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	
7 (क)	ब्याज के रूप में अर्जित आय की प्रविष्टि रोकड़ वही में न किया जाना	14.14

11 (क)	गृहकर की वसूली योग्य राशि शेष	116.87
11 (ख)	गृहकर में अनियमित छूट देने के परिणामस्वरूप नगर परिषद को वितीय हानि	7.80
12	किरायेदारों से किराया की वसूली योग्य राशि शेष	11.75
13 (ङ)	विभागीय स्तर पर सीमेन्ट जारी न करने के कारण परिषद को वितीय हानि	33.00
13 (छ)	संविदाकार को अग्रिम राशि का अनुचित भुगतान	12.00
13 (ज)	अतिरिक्त मदों के रूप में संविदाकार को अधिक भुगतान	0.61

3. नगर परिषद ऊना – 4/2010 से 3/2012

5 (v)	अग्रिम राशि का समायोजन न करना	4.02
6.1	गृहकर/किराया इत्यादि की राशियों की वसूली शेष	42.05
6.6	टाऊन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग शुल्क जमा न करना	45.59
8.1.2	गलत गणना के कारण संविदाकार को सम्भावित अधिक भुगतान	1.51

4. नगर परिषद नालागढ़ – 4/2010 से 3/2012

पैरा संख्या		₹ (लाख)
5	अनुदान की अपयुक्त राशि	141.62
6.3	सावधि निवेश पर बैंक द्वारा कम ब्याज दिया जाना	2.04
7	दुकानों के किराए की बकाया राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	26.41
8	प्लाटों के किराए की बकाया राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	3.20
9	अग्रिम राशियों का समायोजन न किए जाने बारे	4.05

26	ए0सी0पी0एस0 के अन्तर्गत अनुचित लाभ दिया जाना	0.56
36	सीमेन्ट का सम्भावित दुरूपयोग करना	0.37
48	बिना सक्षम अधिकारियों की स्वीकृति के अनियमित व्यय करना	4.66

5. नगर पंचायत सुजानपुर – 4/2010 से 3/2012

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹ (लाख)
5	गृहकर की वसूली योग्य राशि शेष	20.71
6	दुकानों व स्टालों के किराये की वसूली शेष	5.54

6.नगर पंचायत सरकाघाट – 04/2007 से 03/2012

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹ (लाख)
9 (ख)	गृहकर, दुकानों का किराया इत्यादि की आय वसूली योग्य शेष	42.65
9 (घ)	गृहकर की बकाया राशि पर सरचार्ज न लगाने के कारण हानि	2.43
9 (ड़)	निर्धारित दरों पर गृह करों की मांग न करने के कारण हुई हानि	11.81
9.8	खोखो व रेहड़ियों के किराये की कम वसूली के कारण हानि	7.54
11 (ञ)	एग्रीमेन्ट में प्रावधान न होने पर ठेकेदार को पत्थर ढुलाई के रूप मे अनियमित भुगतान	0.74
11.11 (ख)	रेहन बसेरा के निर्माण कार्य हेतु जमा की राशि को लोक निर्माण विभाग से वसूल न करना	4.50

7. नगर परिषद श्री नयना देवी जी – 4/2008 से 3/2012

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹ (लाख)
9 (क)	दुकानों के किराए की वसूली हेतु शेष राशि	21.13
12	गृहकर की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	6.88
19	मन्दिर न्यास श्री नैना देवी जी की दुकान नं0 1 के किराये की वसूली न करना	21.64
30	सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किए बिना अनियमित व्यय करना	6.18

8. नगर परिषद डलहौजी – 04/2010 से 03/2012

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹ (लाख)
8 (i) (ii) (iii) (iv)	गृहकर जलकर, सफाई कर दुकान किराया इत्यादि की बकाया राशि वसूली हेतु शेष	122.46
8 (6)	मोबाईल टावर स्थापना व नवीनीकरण शुल्क की वसूली न करना	1.70
8 (10) (ii)	सिनेमा हाल भवन की किराए की वसूली हेतु शेष राशि	3.58

9. नगर पंचायत तलाई – 04/2010 से 03/2013

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹ (लाख)
6	उचित वित्तीय प्रबन्धन के अभाव के कारण अतिरिक्त ब्याज की आय से वंचित होना	4.65
8 (क)	गृहकर की वसूली योग्य राशि	25.76

10. नगर परिषद बददी – 4/2008 से 3/2012

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹ (लाख)
4 (घ) (ii)	वितीय कुप्रबन्धन के कारण अतिरिक्त ब्याज की आय के रूप में हानि	36.69
8	रख–रखाव प्रभार की वसूली न करना	54.68
10, 14	किराया की वसूली हेतु शेष राशि	11.02
28	संविदाकार के बिलों से आयकर की कटौती न करना	3.24
15	मोबाईल टावर स्थापना व नवीनीकरण शुल्क की वसूली न करना	3.55

11. नगर परिषद ठियोग, जिला शिमला – 04/2011 से 03/2013

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹ (लाख)
4 (3)	निवेशित राशियों पर ब्याज की गलत गणना के फलस्वरूप परिषद कोष में कम ब्याज जमा करना	1.44
7	गृहकर की वसूली हेतु बकाया राशि	83.36
8	किराये की बकाया राशि वसूली हेतु शेष	25.38
8 (2)	व्यवसायिक परिसर बस स्टैण्ड की दुकानों की लीज मनी की वसूली न करना	12.52
11	नगर परिषद द्वारा स्थापना पर निर्धारित माप दण्डों से अधिक भुगतान	24.64

13	बिना जस्टीफिकेशन तैयार किये निर्माण कार्यो का आंबटन	72.59

12. नगर परिषद रामपुर बुशैहर – 04/2011 से 03/2013

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹ (लाख)
5.1	गलत गणना के कारण ब्याज की कम प्राप्ति	2.13
6.3	अनुदान राशियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी न करना	70.32
7.1	विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत बकाया राशि की वसूली न करना	79.36
7.2	गृहकर की दर में वृद्धि नियमानुसार न करने के कारण आर्थिक हानि	20.03
12	अग्रिम राशि समायोजन हेतु शेष	77.23

13. नगर पंचायत भोटा – 04/2010 से 03/2013

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹ (लाख)
5 (क)	वसूल की गई आय को बैंक खाते में जमा न करवाना	3.35
6	गृहकर की वसूली योग्य शेष राशि	12.14
7	दुकानों/रेहड़ी के किराये की राशि वसूली योग्य शेष	3.14

14. नगर परिषद कांगड़ा– 04/2011 से 03/2013

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹ (लाख)
7	अवधि 03/11 से पूर्व में प्राप्त अनुदान राशि का व्यय न करना	86.17
9	गृहकर /दुकानों के किराये/कूड़ा संयत्र एवं मोबाईल टावर शुल्क की बकाया राशियॉ वसूली हेतु शेष	56.29
10	गृहकर की बकाया राशि निध्ररित दर से वसूल न करने के कारण वित्तीय हानि	3.99
15	निर्माण कार्य पर किया गया अनियमित व्यय	1.29
19	निर्माण कार्य पर अपव्यय	2.30

15. नगर पंचायत चौपाल– 04/2010 से 03/2013

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹ (लाख)
7	वित्तीय कुप्रबन्धन के कारण अतिरिक्त ब्याज की आय के रूप में हानि	6.00
8	दिनांक 31.3.2013 को गृहकर की वसूली हेतु शेष राशि	24.90
9	गृहकर में निर्धारित दर से संशोधन न करने के कारण आर्थिक हानि	4.95
10	दुकानों/स्टालों के किराये की वसूली हेतु शेष राशि	15.66
11	रिक्त दुकानों को पुनः किराये पर आबंटित न करने के कारण वितीय हानि	3.32

16. नगर परिषद परवाणू, जिला सोलन, – 04/2011 से 03/2013

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹ (लाख)
6.1	दिनांक 31.3.2013 को अनुदान राशि व्यय हेतु शेष	23.49
8.2	गृहकर, सफाई कर दुकानों का किराये की वसूली न करना	74.11
8.8	सहायक आयुक्त कार्यालय से किराये की राशि की वसूली न करना	26.02
8.10	भवन नक्शा पारित शुल्क की कम वसूली	3.63
9.1	हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 53 (1) (ग) के प्रावधानों के विपरीत संस्थापना पर अनाधिकृत रूप से व्यय	30.30
10.1	निर्माण कार्य पर स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक व्यय	2.34
12	हि0प्र0 पैन्शन, ग्रेच्युटी एवं जी0पी0एफ0 रूल्स 2000 के नियम 3 के अनुसार नियोक्ता अंशदान की राशि को पैन्शन, ग्रेच्युटी फंड में जमा न करना	20.50

17. नगर पंचायत देहरा –04/2011 से 03/2013

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹ (लाख)
6 (i)	गृहकर की वसूली हेतु शेष	13.21
6 (ii)	गृह कर निर्धारित दरों से अधिरोपित न करने के कारण वितीय हानि	43.06
7	दुकानों के किराए की वसूली न करना	17.10
12	संविदाकार से पार्किंग फीस वसूल न करना	11.91
18	पैन्शन व उपदान खातों में कम राशि जमा करवाना	19.01

18. नगर पंचायत सुन्नी – 04/2011 से 03/2013

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹ (लाख)
8	गृहकर की बकाया राशि की वसूली न करना	35.77
8 (2)	सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर गृहकर अधिरोपित न करने के फलस्वरूप वितीय हानि	22.76
9	दुकानों के किराये की बकाया राशि की वसूली न करना	2.11
10	मोबाईल टावर की स्थापना व नवीनीकरण शुल्क की वसूली न करना	1.08

19. नगर परिषद मण्डी – 4/2010 से 3/2013

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹ (लाख)
4	संस्थापना पर अनाधिकृत व्यय	379.31
7	गृहकर की वसूली हेतु शेष राशि	246.68
7 (क)	गृहकर की दरों में बढ़ौतरी न करने के कारण हानि	45
8	दिनांक 31.3.2013 को दुकानों के किराये की वसूली हेतु शेष राशि	31
8 (क)	दुकानों के किराये इकरारनामों की शर्तों के अनुसार वसूली न करने के कारण परिषद को वितीय हानि	15
10	मोबाईल टावर की स्थापना व नवीनीकरण शुल्क की वसूली न करना	9

20. नगर परिषद सोलन – 04/2011 से 03/2013

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹ (लाख)
4 (घ) (8)	वित्तीय कुप्रबन्धन के कारण अतिरिक्त ब्याज की आय से वंचित होना	22
5 (क) व 6 (क)	निवेशें के वित्तीय कुप्रबन्धन के कारण अतिरिक्त ब्याज की आय से वंचित होना	8.21
10	गृहकर अधिरोपित न करने के कारण नगर परिषद को हानि	881
11	मलवहन कर की वसूली हेतु शेष राशि	170
12	स्टालों/दुकानों से प्राप्त होने वाले मासिक किराये की शेष वसूली	98
90	संविदाकारों से तारकोल व सीमेन्ट की वसूली न करना	6.12

21. श्री सिद्ध बाबा बालक नाथ मन्दिर न्यास दियोट सिद्ध – 1/2011 से 12/2011

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹ (लाख)
5 (क)	कम दरो पर राशि निवेशित करने के कारण ब्याज के रुप में आर्थिक हानि	6.49
12. (ख)	चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल का अनियमित भुगतान करना	1.67

14	विज्ञापनों पर अनियमित रूप से व्यय	4.43

22. मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी– 1/2010 से 12/2011

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹ (लाख)
17	सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना तथा आदेशों/नियमों की अवहेलना करके दैनिक भोगियों की नियुक्तियॉ करके अनियमित व्यय करना	1.64
20	मन्दिर न्यास द्वारा Q.R.T. (Quick Rescue Team) गाड़ी सेवा पर अनियमित व्यय करना	6.97
21	मन्दिर न्यास द्वारा छोटे–छोटे समाचार पत्रों, मैगजीन, सोविनियर में विज्ञापनों पर अनियमित व्यय करना	10.25
26 (क)	मन्दिर न्यास द्वारा निक्षेप कार्य (डिपोजिट वर्क) करवाने हेतु भुगतान की गई राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना	28.63

23. मन्दिर न्यास श्री राम गोपाल डमटाल –1/2011 से 12/2012

पैरा संख्या		₹ (लाख)
6 (ख)	सावधिक जमा राशि पर कम ब्याज क्रेडिट करना	0.62
7	प्लाटों/दुकानों एवं स्टोन क्रशरों के किराये के रूप में बकाया राशि की वसूली हेतु कार्रवाई न करना	24.96
8	निर्धारित दरों से कम दर पर किराये की वसूली करना तथा किरायेदारों के किराये में बढ़ौतरी न करना	0.86
15	केन्द्रीय पूल में अनियमित रूप से दी गई राशि	2.50

24. श्री संकट मोचन मन्दिर न्यास – 1/2011 से 12/2012

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹ (लाख)
11	विज्ञापनों इत्यादि पर राशि का अनियमित भुगतान	2.20
12	मन्दिर न्यास की मुरम्मत एवं रंग रोगन पर किये गये व्यय में अनियमितताएं	4.06
13	बिना निविदायें आमन्त्रित किए अनियमित रूप से भुगतान करना	1.99

25. मन्दिर न्यास माता श्री ब्रजेश्वेरी देंवी जी कांगड़ा –1/2012 से 12/2012

पैरा संख्या		₹ (लाख)
7	दुकानों/भवनों के किराए के रूप में का वसूली हेतु शेष पाया जाना	3.21
16	संविदाकार के बिलों से जल प्रभार की कटौती न करने के कारण संविदाकारों का अधिक भुगतान करने बारे	0.28

26. मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ समूह शाहतलाई – 1/2010 से 12/2012

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹ (लाख)
27	मन्दिर न्यास द्वारा समाचार पत्रों, मैगजीन, सोविनियर में दिए गए विज्ञापनों पर अनियमित व्यय करना	7.62
28	मन्दिर न्यास द्वारा "Average Reading" के आधार पर बिजली के बिलों का अनियमित भुगतान करना	2.50
29	मन्दिर न्यास द्वारा सुलभ इन्टरनैशनल चण्डीगढ़ को सफाई व्यवस्था हेतु एवं अस्थाई स्नानागार व शौचालयों की व्यवस्था हेतु अनियमित भुगतान करना।	6.12
30	मन्दिर न्यास द्वारा मेलों के दौरान गाड़ियों पर किए गए व्यय से सम्बन्धित अनियमितताओं के बारे में	2.39
37	लंगर हेतु एवं अन्य उद्देश्यों हेतु खरीदी गई की सामग्री की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टियां न करना व खपत विवरणियॉ तैयार न करना तथा खरीदी गई सामग्री का विवरण बिल में न पाया जाना	3.85

27. मन्दिर प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी – 1/2010 से 12/2012

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹ (लाख)
10	मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा दी गई अग्रिम राशि का समायोजन न करना	23.29
11	आय रजिस्टर में राशि कम लिया जाना	4.51
12(क)	चढ़ावे के रूप से प्राप्त आय में से व्यय को कम न करने के पुजारी शेयर का अधिक भुगतान करना	40.10
12(ख)	गलत गणना के कारण पुजारी शेयर के रूप में राशि का अधिक भुगतान करना	0.98
16	माता चिन्तपूर्णी मन्दिर के कर्मचारियों को अर्जित अवकाश नगदीकरण के रूप में राशि का अनियमित भुगतान करना	6.19
17	सेवानिवृत कर्मचारियों के आश्रितों को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि का अनियमित भुगतान करना	29.75
19(क)	मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा हिमाचल प्रदेश के सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों अर्थात मन्दिर अधिकारी, सहायक मन्दिर अधिकारी तथा चपड़ासी को मानदेय के रूप में राशि का अनियमित भुगतान करना	5.07
19 (ग)	मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा अपने कर्मचारियों को मानदेय के रूप में राशि का अनियमित भुगतान करना	46.91
19 (घ)	मन्दिर प्रबन्धन समिति माता चिन्तपूर्णी द्वारा सुरक्षा कर्मियों (भूतपूर्व सैनिकों), हिमाचल प्रदेश के होमगार्डो तथा सफाई संविदाकार के कर्मियों को मानदेय के रूप में राशि का अनियमित भुगतान करना	21.86
42	विज्ञापनों पर राशि का अनियमित व्यय करना	74.18

28. मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी – 1/2011 से 12/2012

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹ (लाख)
10	वर्ष 2011 के दौरान बारीदारों को अधिक एवं गलत भुगतान करना	58.09
12	मातृ छाया यात्री निवास श्री ज्वालामुखी के ठेकेदार श्री अरूण लाल टण्डन के आश्रितों से लीज की राशि, बिजली के बिलों की राशि तथा कम सामान वापिस दिए जाने से सम्बन्धित राशि की वसूली न करना	6.36
28	कॉमन पूल में अनियमित रूप से हस्तांतरित की गई राशि बारे	5.00

29. मदिन्र न्यास श्री लक्ष्मी नारायण मन्दिर बिलासपुर – 1/2010 से 12/2012

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹ (लाख)
9	किराये के रुप में शेष राशि की वसूली न करना	18.13

30. श्री हणोगी माता मन्दिर न्यास हणोगी, जिला मण्डी – 01/2011 से 12/2012

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹ (लाख)
5	विभिन्न संस्थाओं को अनुदानों के रूप में दी गई राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना	28.72

31. श्री चूड़धार मन्दिर चौपाल जिला शिमला, – 05/2005 से 12/2012

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹ (लाख)
9	शिरगुल पुस्तक के प्रकाशन/बिक्री से प्राप्त वसूली राशि को मन्दिर निधि में जमा न करना	0.78
15	दिनांक 31.12.2012 को अग्रिम राशि का समायोजन हेतु शेष पाया जाना	5.30
17	औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना चूड़धार मन्दिर का निर्माण कार्य करवाने हेतु राशि का इकरारनामा करना	15.00
18	भुगतान से सम्बन्धित वाऊचर प्रस्तुत न करना	7.24
19	निर्धारित औपचारिकताऐं को पूर्ण किए बिना राशि की सामग्री का क्रय करना	1.72

32. श्री बिजट महाराज मन्दिर (ब्रिजेश्वर मन्दिर) सराहां – 01/2005 से 12/2012

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹ (लाख)
9	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सराहन से राशि की वसूली न करना	2.06
13 (क, ख)	औचारिकताओं को पूर्ण किये बिना सामग्री का क्रय करना	8.9
14	मन्दिर के लंगर हेतु क्रय की गई खाद्य सामग्री से सम्बन्धित अनियमितताएं	1.57
15	विज्ञापनों पर अनुचित व्यय करना	1.15

33. कृषि उपज मण्डी समिति सोलन – 4/2011 से 3/2012

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹ (लाख)
5	Market Fees तथा Rent की Recovery इत्यादि से सम्बन्धित Bounced Cheques की न्यायालय के माध्यम से वसूली करने बारे	13.18
10 (ग)	आयकर विभाग के नाम राशि का असमायोजित दर्शाया जाना	137.94
13	तुलन पत्र के "Capital Work in Progress" शीर्ष में असमायोजित राशि का शेष दर्शाया जाना।	172.63
15	टर्मिनल मण्डी, परवाणू में पट्टे पर आंबटित दुकानों की दुकानदारों से पट्टे की वसूली योग्य शेष पाया जाना तथा वसूली योग्य उक्त राशि को तुलन पत्र मे न दर्शाया जाना।	37.96
16	दुकानों के किराए की राशि वसूली हेतु शेष ।	21.83

34. कृषि उपज मण्डी समिति, शिमला एवं किन्नौर स्थित ढली – 04/2011 से 03/2012

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹ (लाख)
6	अग्रिम राशि का समायोजन न करना	3.52
7	दुकानों के किराए के रूप में शेष वसूली	27.68
22 (ii)	उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	84.15
24	मण्डी समिति द्वारा वर्ष 2011–12 के दौरान विभिन्न सावधि जमाओं में राशियों हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंकों में निवेशित न करवा कर कम ब्याज दरों पर अन्य बैकों में निवेशित करने के परिणामस्वरूप हानि	6.92
25	विभिन्न बैंकों द्वारा सावधि जमा पर देय ब्याज से कम ब्याज देने के परिणामस्वरूप मण्डी समिति को हानि	1.20

35. कृषि उपज मण्डी समिति, कांगडा – 04/2011 से 03/2012

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹ (लाख)
6	निर्माण कार्यों से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को जांच हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	21.35
7	दुकानदारों से लम्बित किराये के रूप में वसूली न करने बारे	9.85
8	मार्कट यार्ड कांगडा में निर्मित छः कमरों के किराये की राशि की वसूली न करना	4.41
11 से 17	विभिन्न फमों से मण्डी शुल्क की राशि कम वसूलने बारे।	0.58

36. विपणन समिति मण्डी (कांगणी) मण्डी – 04/2011 से 03/2012

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹ (लाख)

5	निर्माण कार्यों से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण के प्रस्तुत न करना	65.60
6 (क)	दुकानों के किराए की राशि वसूली हेतु शेष	8.02
7	बिना लाईसैसियों से मण्डी शुल्क (कम्पाऊड शुल्क) की कम वसूली बारे	1.87
8	अधिनियम की धाराओं के प्रावधानों के विपरीत कम मण्डी शुल्क वसूलना	8.75

37. कृषि उपज मण्डी समिति, कुल्लू एवं लाहौल स्पिति – 04/2011 से 03/2012

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹ (लाख)
6	उप मण्डी भून्तर से प्राप्त आय की राशि को बैंक में जमा न करवाया जाना	1.09
7	दुकानदारों से आंबटित दुकानों के लम्बित किराए के रूप में राशि की वसूली न करना	16.89
9	मण्डी शुल्क की बकाया राशि की वसूली करना	4.01
10	लाईसैंसधारी व्यापारियों से देय मण्डी शुल्क की कम वसूल किए जाने के फलस्वरूप मण्डी समिति को सम्भावित हानि	1.04
11	आलू व्यापारियों से अवधि 31.3.2012 को राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	2.70
12	लाहौल पोटेटो सोसाईटी से बकाया मण्डी शुल्क की वसूली	1.36
18	डिपोजिट कार्य के विरूद्ध जमा करवाए गए उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना	99.15

38. कृषि उपज समिति बिलासपुर, – 4/2011 से 3/2013

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹ (लाख)
7	कृषि उपज समिति बिलासपुर द्वारा पंजीकृत व्यापारियों से मण्डी शुल्क की बकाया राशि की वसूली न करना	17.24
8	कृषि उपज समिति बिलासपुर के सब मार्किट यार्ड नम्होल, शाहतलाई व निहाल व बिलासपुर में निर्मित दुकानों के किराए की वसूली योग्य राशि का शेष पाया जाना	6.38
18	विपणन बोर्ड से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना	27.25

39. कृषि उपज मण्डी समिति, हमीरपुर – 4/2011 से 3/2013

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹ (लाख)
9	आयकर विभाग को जुर्माने के रूप में अनियमित भुगतान	0.40
10	बिजली बोर्ड को दी गई उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना	6.62

40. कृषि उपज मण्डी समिति ऊना – 4/2012 से 3/2013

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹ (लाख)
8	गगरेट चैक पोस्ट को बन्द करने के कारण मण्डी समिति को प्रतिवर्ष हो रही वित्तीय हानि	5.00
9	हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई कारपोरेशन से मण्डी शुल्क की वसूली न करना	2.56
10	कृषि उपज मण्डी समिति ऊना के परिक्षेत्र में कार्यरत कत्था उद्योगों से मण्डी शुल्क की कम वसूली करना	0.71

41. ई–गर्वनैन्स सोसाईटी परिवहन विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–4 – 4/2010 से 3/2013

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹ (लाख)
5	वितीय स्थिति व बैंक विवरणिका में अन्तर	5.11
8	विभिन्न पक्षों की लम्बित देनदारियां	132.15
9	ऋणों एवं अग्रिमों का समायोजन न करना	8.65
10	इन्कम टैक्स विभाग से टी.डी.एस. का समायोजन न करना	5.93
11	मुख्य प्रशासक एवं प्रधान सचिव परिवहन की स्वीकृति के बिना डी.ए.ओ.इ. सी.सी.समिति सेंटर शिमला का आउट सोर्स कार्य हेतु भुगतान	29.42
12	आउट सोर्स समिति को भुगतान की गई राशि से टी.डी.एस. की कटौती न करना	3.61
13	बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के कम्पयूटर हार्डवेयर इत्यादि की खरीद	2.48

42. ई–गर्वनैन्स सोसाईटी धर्मशाला – 9/2005 से 3/2013

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹ (लाख)
8	राजकीय कोष में कम जमा करवाया जाना	4.42
7	हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रैशन नम्बर प्लेट के साथ जारी किऐ जा रहे रजिस्ट्रैशन सर्टिफिकेट सेवा शुल्क की वसूली न करने बारे	22.64

43. हिमाचल प्रदेश सचिवालय जलपान गृह शिमला– 4/2012 से 3/2013

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹ (लाख)
7	लेनदारी के रूप में शेष दर्शाना	10.14
9	देनदारी के रूप में शेष दर्शाना	19.37

44. राजकीय महाविद्यालय संजौली, शिमला– 4/2005 से 3/2012

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹ (लाख)
5(घ)	सावधि योजना में निवेश राशियों को समय अवधि से पूर्व भुनाकर ब्याज में कम प्राप्ति के फलस्वरूप वित्तीय नुकसान	0.42
6	महाविद्यालय के बिजली, पानी, दूरभाष के बिलों के भुगतान हेतु अनियमित प्रकार से अग्रिम राशियां प्रदान करना तथा दिनांक 31.312 वसूली हेतु शेष पाई जाना	14.94
7(क)	अग्रिम के रूप में राशि समायोजन हेत शेष पाई जाना	12.70
9	मिश्रित निधि से दैनिक/पार्ट टाईम कर्मचारियों को वेतन का अनियमित भुगतान	14.35

45. महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्ब, जिला ऊना – 4/2007 से 3/2012

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹ (लाख)
6	खेलकूद निधि में कम राशि की वसूली करना	4.76
19	पुस्तकालय प्रतिभूति निधि से पुस्तके बिना औपचारिकताऐं पूर्ण किये ही क्रय करना	1.35

46. राजकीय महाविद्यालय चम्बा, जिला चम्बा –4/2008 से 3/2013

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹ (लाख)
11	मिश्रित निधि से अनुचित/अनियमित व्यय	1.22
17	समिश्रित निधि से टेलीफोन, बिजली व पानी के बिलों का अनुचित/अनियमित भुगतान करना	3.52

47. राजकीय महाविद्यालय ढलियारा, –4/2010 से 3/2012

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹ (लाख)
5	कम्पयूटर प्रयोगिक निधि की कम वसूली करना	2.47
12	मिश्रित निधि से बिजली बिलों का अनुचित/अनियमित भुगतान करना	0.41

11	स्मृति चिन्हों के वितरण से सम्बन्धित अभिलेख का न होना	0.51

48. राजकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, धर्मशाला –10/1989 से 3/2012

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹ (लाख)
6(ग)	सावधि जमा राशियों पर ब्याज के रूप में अर्जित आय की प्रविष्टि रोकड़ वही में न करना	20.17
6(घ)	परिपक्वता उपरान्त सावधि जमा की राशि की प्रविष्टि रोकड़ वही/बैंक लेखा में जमा न करके सम्भावित दुर्विनियोजन	1.33
28	लाईसैन्स फीस की वसूली न करना	0.44
32	प्रतिभूति राशियों को Old Student Association को अनियमित/अनुचित प्रकार से हस्तांतरित करना	1.20

49. राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर – 4/2008 से 3/2013

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹ (लाख)
6	बचत खाते पर बैंक द्वारा कम ब्याज दिया जाना	1.88
10	कार्यालय व्यय का भुगतान छात्र निधियों से करना	0.51
21	भुगतान राशि से कम रसीदें प्रस्तुत करना	0.35

50. राजीव गांधी मैमोरियल, राजकीय महाविद्यालय, जोगिन्द्र नगर – 4/2006 से 3/2012

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹ (लाख)
7	छात्रों से अनाधिकृत रूप से छात्र निधियों को वसूल करना	1.38
13	मिश्रित निधि से सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के विना सामान की खरीद करना	2.85

51. राजकीय महाविद्यालय करसोग – 04/2000 से 03/2013

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹ (लाख)
4 (ख)	सावधि जमा राशियों को रोकड़ वही से अनियमित/अनुचित प्रकार से कम करना	14.70

4 (ग)	सावधि जमा राशियों पर अर्जित ब्याज की प्रविष्टि रोकड़ वही में न करना	1.74
6 (च)	जुर्माना निधि के रूप में कम वसूली करना	0.27
7 (क)	महाविद्यालय द्वारा श्री जै राम सफाई कर्मचारी को अंशकालीन व तदोपरान्त दैनिक वेतन भोगी पद पर मिश्रित निधि से अनियमित भुगतान करना	2.60

52. राजकीय वल्लभ महाविद्यालय, मण्डी – 04/2010 से 03/2012

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹ (लाख)
11	कैन्टीन किराये की वसूली न करना	0.48
9	विभिन्न खेल–कूद सामग्रियां की खरीद सरकार द्वारा अनुमोदित दर संविदा के आधार पर न करना	3.00

53. राजकीय स्नातोकतर महाविद्यालय नाहन – 4/1994 से 3/2012

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹ (लाख)
6	निधियों के बचत/सावधि खातों पर प्राप्त ब्याज को रोकड़ वहियों मे लेखाबद्ध न करना	6.55
5	सावधि जमा योजना में निवेशित राशियों का अभिलेख न रखना	144.12

54. राजकीय महाविद्यालय, नालागढ, जिला सोलन – 4/2006 से 3/2012

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹ (लाख)
4(i)	निधियों के सावधि खातों पर प्राप्त ब्याज को रोकड़ वहियों मे लेखाबद्ध न करना	11.73
4(ii)	सावधि खातों पर बैंक द्वारा ब्याज कम दिया जाना	1.05
12	कम्पयूटर व इंटरनेट सुविधा निधि प्राप्त न	0.81
15	टयूशन फीस कम प्राप्त करना	0.32
24	मिश्रित निधि से टेलीफोन, बिजली व पानी के बिलों का अनुचित/अनियमित भुगतान करना	9.07
25	मिश्रित निधि से अनुचित/अनियमित व्यय करना	1.15
30	मुद्रण कार्य राजकीय मुद्रणालय शिमला से न करवाकर सीधे खुले बाजार से करवाया जाना	5.38

55. राजकीय महाविद्यालय सलूणी जिला चम्बा – 08/2006 से 3/2013

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹ (लाख)
7	खेल निधि के रूप में राशि की कम वसूली करना	0.66
8	कम्पयूटर एवं इन्टरनैट निधि की राशि की वसूली न करना	0.07

56. राजकीय महाविद्यालय सरकाघाट – 4/2006 से 3/2012

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹ (लाख)
5 (ङ)	सावधि जमा में निवेशित राशि को रोकड़ वही में व्यय दर्शाकर अनियमित/अनुचित प्रकार से कम करना	14.10
6 (ख)	सावधि जमा राशियों पर ब्याज के रूप में अर्जित आय की प्रविष्टि रोकड़ वही में न करना।	7.40
6 (घ)	सावधि जमा राशियों पर बैंकों द्वारा कम ब्याज देना	0.64
8	राजकीय महाविद्यालय सरकाघाट में फीस व फन्डस की राशि का दुर्विनियोजन करने बारे तथा अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाने पर राशि को जमा करवाने बारे	6.28
9 (क)	छात्रों के शैक्षणिक टूअर हेतु राशि के भुगतान में अनियमितताऐं	0.33
10 (ख)	अग्रिम के रूप में प्रदान की गई राशि का समायोजन हेतु शेष पाया जाना	5.18

57. हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मुख्यालय शिमला.2 –04/2011 से 03/2012

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹ (लाख)
4	दिनांक 31.03.12 तक ग्राऊंड रैन्ट की राशि आबंटियों से वसूली न करना	36.07
5	कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि की राशि को "Other Receipts" शीर्षक के अन्तर्गत अनाधिकृत रूप से आय में दर्शाये जाने बारे	11.92
6	यात्रा भत्ता, अवकाश रियायत यात्रा, चिकित्सा व्यय, एवं भवन निर्माण अग्रिमों की कई वर्षों से वसूली/समायोजन न करना	27.35
7	लेखन व मुद्रण विभाग से 31.03.12 तक अग्रिम का समायोजन न करना	2.91
8.4	सावधि निवेश में अनुचित प्रकार से बिना तथ्यों की पुष्टि किए अन्तशेष में दर्शाना	25.04
8.5	सावधि लेखा का सत्यापन सम्बन्धित बैंकों के प्रमाण पत्रों से न करवाया जाना	280.89
9	आबंटियों से प्राप्त राशि को उचित प्रकार से मूल राशि व ब्याज प्राप्ति में लेखांकित न करना	80.96
9.1	विभिन्न आवासीय बस्तियों से पिछले कई वर्षों से देय राशि की वसूली न	340.12

	करना	
9.2	धरोहर राशि को जब्त न करना	16.45
9.3	आंबटियों से ब्याज के रूप में कम वसूली करना	2.82
11	विज्ञापनों पर राशि के अनुचित एवं अनुपयोगी व्यय	16.91
12	तकनीकी अधिकारियों को Four Tier Pay Scale के अन्तर्गत गलत वेतन निर्धारण करने के कारण अधिक भुगतान	5.15
14	प्रतिनियुक्ति पर गये हिमुडा कर्मचारियों की ग्रेच्युटी अंशदान प्राप्त न करना	7.36

58. हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल परवाणू – 04/2011 से 03/12

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹ (लाख)
4	परवाणु निर्माण मण्डल के अधीन परवाणू, बद्दी, नालागढ़ एवं नाहन आवासीय परिसरों के जल प्रभार एवं रख रखाव शुल्क दिनांक 31.03.2012 तक वसूली हेतु शेष	102
4 (घ)	परवाणु निर्माण मण्डल के अधीन परवाणू जल आपूर्ति योजना के संचालन पर आय की तुलना में अधिक व्यय	551.06
4 (ङ)	परवाणु निर्माण मण्डल के अधीन परवाणु जल आपूर्ति योजना के लिए जल प्रभार शुल्क की दरों में वृद्धि के उपरान्त भी जल प्रभार की आय तुलनात्मक मांग कम दर्शाना	97.85
4 (च)	विविध अग्रिमों की बकाया राशि वसूली योग्य शेष	52.69
5 (1)	मदों की विभागीय जस्टीफिकेशन की दर से उच्च दरों पर कार्य आंबटन से संविदाकार को अनुचित लाभ	72.49
5 (2)	Serviceable Material, ऑर्डिनरी Quarried स्टोन (617.39 घन मी0) की प्रविष्टि MAS रजिस्टर में नहीं करने के कारण वित्तीय हानि	2.76
6 (1)	Serviceable Material, ओर्डिनरी Quarried स्टोन (1585.76 घन मी0) की कोई प्रविष्टि MAS रजिस्टर में नहीं करने के कारण हानि	4.63
7 (1)	संविदाकार को दोहरा भुगतान	1.33

59. हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल धर्मशाला– 4/2011 से 3/2012

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹ (लाख)
4	डिपोजिट कायों पर प्राप्त राशि से अधिक व्यय	672.58
5 (क)	मिश्रित अग्रिमों के रूप में असमायोजित राशि	60.84
5 (ग)	राशि हस्तगत रखकर अस्थायी दुर्विनियोजन	02.01
6	रख–रखाव प्रभार की राशि वसूली हेतु शेष	126.37

7	जल प्रभार की राशि वसूली हेतु शेष	07.35
9	जल आपूर्ति योजनाओं पर आय से अधिक व्यय करने के फलस्वरूप हानि	12.32
10	कन्स्ट्रक्सन आफॅ न्यू जेल, राजपूरा (चम्बा) निर्माण कार्य में संविदाकार को सम्भावित अधिक भुगतान	11.94
11	कन्स्ट्रसन ऑफ पालिटेकनिक कॉलेज, बनीखेत के निमार्ण कार्य में सम्भावित अधिक भुगतान	2.22

60. हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल–I शिमला – 04/2012 से 03/2013

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹ (लाख)
4 (क)	स्टाफ अग्रिम का समायोजन न करना	3.97
4(ख)(1)	विविध अग्रिम का समायोजन न करना	95.01
4 (ख)(2)	विविध अग्रिम राशि सेवा निवृत कर्मचारी श्री जे0के0 कपूर (ए0ई) से वसूली हेतु शेष	1.10
4 (ग)	जल प्रभार की बकाया राशि वसूली योग्य शेष	2.05
4 (घ)	विभिन्न आवास बस्तियों से रख–रखाव प्रभार के रूप में वसूली योग्य राशि शेष	22.24
6	भण्डार मदों को दार्धकाल से प्रयोग में न लाना	10.97
11	₹6030.56 घन मीटर कटिंग कार्य से पत्थरों की प्राप्ति शून्य लिया जाने के कारण प्राधिकरण को वित्तीय हानि	16.52
15	नियमों की अवहेलना कर ठेकेदारों को Secured Advance का अनियमित भुगतान	9.64

61. हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण विद्युत मण्डल न्यू शिमला– 04/2012 से 03/2013

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹ (लाख)
4(क)	स्टॉफ अग्रिम का समायोजन न करना	3.07
4(ख)	विविध अग्रिमों का समायोजन न करना	3.89
5	सुरक्षित अग्रिमों का लम्बी अवधि तक समायोजन न करना	44.57
6	निक्षेप निर्माण कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना	5071.67
8	वाहनों के ईंधन की खपत निर्धारित माप दण्डों से अधिक होने के कारण वसूली	1.11

62. हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण विद्युत मण्डल धर्मशाला– 4/2012 से 3/2013

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹ (लाख)

4	उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना	527.08
5	बिजली बोर्ड से डिपोजिट राशि से कम कार्य निष्पादित करने के परिणामस्वरूप वसूली न करना	14.51
6	संविदाकारों से सुरक्षित अग्रिम राशि की वसूली न करना	34.54

63. हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला – 4/2012 से 3/2013

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹ (लाख)
6	दिनांक 31.3.13 को समायोजन हेतु अग्रधन पाया जाना	7.98
7	प्रतिभूति व जुर्माना राशि की वसूली न करना	2.68
16	गलत वेतन निर्धारण के कारण अधिक भुगतान की गई राशि बारे	0.16

64. चौ0 सरवन कुमार हि0प्र0 कृशि विश्वविद्यालय पालमपुर - 4/2011 से 3/2012

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹ (लाख)
10	3 टीयर (Three tier) पे स्कंल देने से पूर्व (फील्ड) तकनीकी सहायक ग्रेड 1 को दिए गए ए.सी.पी.एस. के लाभ को वापिस किए जाने बारे	17.06
14	8 न0 बेलदार जो हि0प्र0 सरकारी विभाग से प्रतिनियुकित पर भेजे गए है उनसे अग्रिम वेतन की वसूली शेष	1.44
17	आई.सी.ए.आर. नई दिल्ली से श्री पी.डी. शर्मा के संशोधित वेतनमान पर अवकाश वेतन व पैंशन अंशदान की राशि ₹241619/वसूली योग्य शेष	2.41
18	विश्वविद्यालय वाहन पुल में ₹ 144000 की राशि समायोजन हेतु शेष	1.44
20	विविध अग्रिम राशि में से ₹ 62335/खरीदी गई खाद के विवरण में पाई गई अनियमितता	0.63
21	पलमपुर में एग्रो क्लब मेला समारोह पर किए गए वयय ₹60000/नियमित करना	0.60
22	सीबक थौरन पर नैशनल कन्फरेन्स प्रोसिडिग की किताब छपवाने पर ₹83769 का वयय	0.84

65. डा0 वाई0एस0परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, सोलन – 4/2011 से 3/2012

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹ (लाख)
4(a) (b)	31.3.13 को अग्रिम राशि का समायोजन शेष	4788.27

6(a)	पैन्शन निधि का अनुचित प्रबन्धन दिनांक 31.3.12 को अर्पयाप्त राशि	1997
6 (b)	उपदान समूह निधि का अनुचित प्रबन्धन दिनांक 31.3.12 को अर्पयाप्त राशि	22.15
6 (b)	वर्ष 2011–12 में उपदान का भुगतान राज्य योजना से किया गया जबकि भुगतान उपदान समूह निधि से किया जाना था	302.23
11	बिना फंडिग एजेन्सी की स्वीकृति के श्री बी.एस. राणा सचिव उप कुलपति के पद पर कन्ट्रैक्ट पर सहायक विज्ञानिक के पद के विरुद्ध नियुक्ति एंव नियुक्ति में बढौतरी करने बारे	₹ 20000 (PM)
18	गदरेज फर्निचर व कास्टोमाइडज प्रोडक्ट की आपूर्ति हेतु बिना टेन्डर निविदाएं आमत्रित किए रेट कन्ट्रेक्ट करने बारे	42.70
23	सिंगल निविदाओं के आधार पर विभिन्न प्रकार के सामान की खरीद करने बारे	3.51
41	बिना टेन्डर आमंत्रित किए एल.डी.पी.एल. ई. की खरीद	8.86

66. हि0प्र0 विश्वविद्यालय, शिमला–5-04/2009 से 03/2010

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹ (लाख)
3(b)(ii)(7)	अवधि 2.4.2008 से 24.3.2009 तक बैंक ड्राफट व आई.पी.ओ. ₹ 4,54,440/मुख्या बैंक अकाडंट नम्बर 10091435340 में बैंक मिलान विवरणिका अनुसार जमा किए गए है परन्तु बैंक द्वारा अन्तिम लेखों के सत्यापन तक इस राशि का क्रैडिट नहीं दिया गया	4.58
3(b)(ii)(15), 6(A)(II), 6(L)(I), 6(N)(II), 6(P)(II)	बैंक द्वारा निवेशित राशि पर कम ब्याज देने बारे	7.05
12	दैनिक भोगी कर्मचारियों को Adhoc basis पर सरकारी आदेशों के विपरीत अनियमित नियुक्ति करने के कारण विश्वविद्यालय पर लगभग ₹ 34 लाख का वितीय भार	34(PA)
20	निर्माण मण्डल के स्टॉक स्टोर की सम्भावित हानि	1.90

67. हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला – 04/2011 से 03/2012

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹ (लाख)
3(i)	रोकड़ बही व बैंक खाते में बोर्ड गठन से लेकर आज तक अन्तर	126.50
13	छात्रों से परीक्षा शुल्क की बसूली योग्य शेष राशि	2.95
14	हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग से पुस्तकों के क्रय हेतु प्राप्त राशि का समायोजन न करना	505.44
16	बैक में राशि कम क्रेडिट करने बारे	31.56
30	अग्रिम राशि का समायोजन न करवाने बारे	1762.98

<u>परिशिष्ट–अ</u>

वैधानिक प्रावधान के अर्न्तगत स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा संपरीक्षित संस्थाओं का विवरण।

क्रम संख्या	संस्थाओं /निधियों का नाम	पत्र संख्या एवं अधिसूचनाए
1	हिमाचल प्रदेश विश्व विद्यालय शिमला	हिमाचल प्रदेश विश्व विद्यालय शिमला अधिनियम 1970 की धारा 29 {1} के अधीन
2	चौ0 सरवन कुमार कृषि विश्व विद्यालय पालमपुर हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश कृषि, वानिकी एवं औद्यानिकी विश्व विद्यालय अधिनियम की धारा 45{3} सह पठित उक्त अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए विश्वविद्यालय के विधान (Statutes) के अंकेक्षण सम्बन्धी प्रावधानों के अधीन
3	डा0 यशवन्त सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, सोलन	हिमाचल प्रदेश कृषि, वानिकी एवं औद्यानिकी विश्व विद्यालय अधिनियम की धारा 45{3} सह पठित उक्त अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए विधान (Statutes) की धारा 13.2 के अधीन
4	हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड	हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड़ अधिनियम 1968
5	हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड	हिमाचल प्रदेश कृषि एवं उद्यान उत्पाद अधिनियम 2005 की धारा 48{2} के अधीन
6	विपणन समितियां	नियन्त्रक एवं महालेखाकार द्वारा हिमाचल प्रदेश कृषि एवं उद्यान उत्पाद अधिनियम 1971 के धारा100{3}के अधीन बनाए गए संशोधित नियम के अधीन।
7{ए}	राजकीय शिक्षण संस्थान {विद्यार्थी निधि}	हिमाचल प्रदेश शिक्षा संहिता ,नियम 136 {बी}2 के अधीन
{बी}	विद्यालय एवं महाविद्यालय के संचयिका लेखे	पत्र संख्या फिन–2–सी{ए}–55–6684 दिनांक 9.9.96 के अधीन
8	हिमाचल प्रदेश हिन्दू लोक धार्मिक संस्थान व धर्मार्थ अक्षय निधि	हिमाचल प्रदेश धार्मिक संस्थान व धर्मार्थ अक्षय निधि अधिनियम 1984 धारा 23{2}सी {!!} अधिसूचना संख्या भाषा–ए{डी}–3/85–2 दिनांक 17–1–1989 एफ/बी{पी–173}
9	हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण	हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम 2004{ 2004के अधिनियम संख्या -9} की धारा 28 की उप धारा 3 के अधीन अधिसूचना संख्या एच–एसजी–4{डी}1/92–II दिनांक 13–9–2004 के अधीन
10	नगर निगम शिमला	नगर नियम अधिनियम 1994 के संशोधित अधिनियम 2007 की सं0 19 की अधिसूचना संख्या 1–376/81–फिन{एल0ए0}खण्ड–4 दिनांक 16.10.2008 के अधीन

11	नगर परिषदे/नगर पंचायतें	नगर नियम अधिनियम 1994 की उप धारा 1 व सैक्शन 255 की अधिसूचना संख्या 1-376/81-फिन{एल0ए0}खण्ड-4 दिनांक 16.10.2008 के अधीन
12	हि0प्र0 बहुतकनीकी संस्थान व औ0 प्रशिक्षण संस्थान	अधिसूचना सं0 एसटीवी{आईटी}एफ{5}-5/85 दिनांक 16.10.1986 के नियम 7 के अधीन
13	हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड	हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड़ अधिनियम 1986 की धारा 20 के अधीन
14	हिमाचल प्रदेश वैधिक सेवाएं प्राधिकरण	हिमाचल प्रदेश वैधिक सेवाएं प्राधिकरण विनियम 1996 विनियम 8{5} के अधीन
15	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड	हिमाचल प्रदेश पर्यटन एवं रेगुलेशन रजिस्ट्रेशन अधिनियम 2002 के सेक्शन 14{2} के अर्न्तगत ।
16	मत्स्य एवं कृषक विकास एजेंसी	जी.आई.ए. नियम 5{3} संख्या फिश-एफ-{5}-1 /82-खण्ड-1 दिनांक 29-3-86 द्वारा अधिसूचित
17	हि0प्र0 हाम्योपैथी परिषद	हि0प्र0 हाम्योपैथी प्रैक्टीशनर नियम 1983 के नियम संख्या 26 के अन्तर्गत
18	हिमाचल प्रदेश कला, संस्कृति एवं भाषा अकादमी	भाषा एवं संस्कृति कार्यक्रम विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या एलसीए{9} -2/84, दिनांक 10-12-1984 के अधीन
19	मुख्यमन्त्री राहत कोष/जिला राहत कोष	कोष के निर्देश संख्या 8 के अधीन
20	मुख्यमन्त्री के सैनिक कल्याण कोष	समान्य प्रशासन विभाग-ई अनुभाग हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या -जीएडी-ई{सी}8/99दिनांक 2-11-99
21	हिमाचल प्रदेश सचिवालय कैनटीन	पत्र संख्याः पीईआर(एसए-आई)एफ(6)-1/84, दिनांक 8-5-1998, 18-3-88, 16-10-99
22	मेला उत्सव लेखे	संख्या भाषा-सी{13}-2/92-लूज,दिनांक 11-5--99 एफ सी कम सैक्रेटरी एलएसी के द्वारा
23	हिमाचल प्रदेश पशु चिकित्सा परिषद	हिमाचल प्रदेश पशु चिकित्सा परिषद जी आई ए नियम अधिसूचना संख्या -ए एच वाई -ए{5}5/86-दिनांक 3-1-94 द्वारा
24	आर्युवैदिक एवं यूनानी चिकित्सा पद्वति बोर्ड	पत्र संख्याःएच एवं एफ.डब्लयू{सी}{1}-21/76 दिनांक 22-6-1977
25	रक्षा सैन्य बल हितकारी निधि झंडा रोहण दिवस निधि	निधि के प्रयोग के लिए नियम अधिसूचना सेख्या 11-58/66/जीएडी 'ए' दिनांक 19-10--1977 के नियम 9 के अधीन
26	राज्य सैनिक बोर्ड़ विशेष निधि आर.आर. सैनिक विश्राम निधि	सैन्य सुरक्षा राहत निधि/ राष्ट्रीय सुरक्षा राहत कोष के निदेश संख्या 9 के अधीन
27	सभी जिलों में लघुबचत पारितोषिक निधि,जिला खेल ,सेस्कृति शिक्षा पुस्तकालय	पत्र संख्याः फिन सी 15-25 / 77 (डब्लयू एण्ड एम)दिनांक 29-12-1978

	और अन्य विकास निधि	
28	ई-गर्वनेन्स	परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या टीपीटी-एफ{1}2/2000-ई गर्वनेन्स दिनांक 03.09.2005 के अन्तर्गत
29	इन्दिरा गांधी खेल परिसर, शिमला	निदेशक, युवा सेवाएं एवं खेल के पत्र संख्या 4-31/83-वाईएसएस-4388 दिनांक 9.07.2003 के अन्तर्गत
30	पर्वतारोहण एवं सहायक खेल संस्थान मनाली	सामान्य प्रशासन विभाग, हि0प्र0 की अधिसूचना संख्याःजीएडी-3-सी{4}13/76 दिनांक 18.03.1978 के अन्तर्गत
31	हिम कॉपस (HIMCOPS)] शिमला	हिमकाप की गवर्निग बाडी की दिनांक 11.03.2011 की बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में निदेशक,पुलिस संचार एवं तकनीकी सेवाएं, हि0प्र0 के पत्र संख्या 4142, दिनांक 25.03.2011 के अन्तर्गत

परिशिष्ट ''ब''

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों से सम्बन्धित निर्देशिका

1. **मुख्यालय :–**

कम सं0	नाम, पदनाम तथा पता	कार्यालय दूरभाष सख्या
1	श्री राजेश शर्मा, निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग	0177–2620757
2	श्री अनिल दत्त शर्मा, अतिरिक्त निदेशक	0177–2620046
3	श्री बसन्त सिंह कंवर, उप निदेशक, सहायक	0177–2620881
4	श्री सुनील कुमार आंगरा, उप निदेशक	0177–2620881
5	श्री देस राज चौहान, सहायक निदेशक	0177–2620046
6	श्री ललित अग्रवाल, अनुभाग अधिकारी	0177–2620881
7	श्री बृजेन्द्र मोहन पुरी, अनुभाग अधिकारी	0177–2620046

2. निवासी अंकेक्षण योजनाएं :–

कम सं0	टधिकारी का नाम व पदनाम	योजना का नाम	दूरभाष सं0
1	श्री धर्म सिंह चौधरी, संयुक्त नियन्त्रक	निवासी अंकेक्षण योजना, चौ0 सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर	01894-230354
2	श्री दीना लाल ठाकुर, संयुक्त नियन्त्रक	निवासी अंकेक्षण योजना, हि0प्र0 विश्वविद्यालय	0177-2830892
3	श्री कशमीर सिंह वर्मा, उप नियन्त्रक	निवासी अंकेक्षण योजना, हि0प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला.	01892-229333
4	श्री बलदेव राज शर्मा, उप नियन्त्रक	निवासी अंकेक्षण योजना, डा0वाई0एस0परमार औ0 एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, सोलन.	01792-252171
5	श्री जगजीत सिंह पटियाल, सहायक नियन्त्रक	निवासी अंकेक्षण योजना, हि0प्र0 विपणन बोर्ड खलीनी,शिमला–2	0177-2621316
6	श्रीमति मीरा गौतम, अनुभाग अधिकारी	निवासी अंकेक्षण योजना, विपणन समिति शिमला एवं किन्नौर स्थित ढली, शिमला–12.	0177-2841167
7	श्री राम सिंह चौहान, अनुभाग अधिकारी	निवासी अंकेक्षण योजना, विपणन समिति सोलन	01792-230459

8	श्री राजवीर सिंह, अनुभाग अधिकारी	निवासी अंकेक्षण योजना, विपणन समिति कांगडा	01892-265195
9	श्री मोहिन्द्र कुमार , अनुभाग अधिकारी	निवासी अंकेक्षण योजना, विपणन समिति मण्डी .	01907-265592
10	श्रीमति इन्दिरा वर्मा, अनुभाग अधिकारी	निवासी अंकेक्षण योजना, विपणन समिति कुल्लू.	01902-222208

परिशिष्ट ''स''

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों /कर्मचारियों की निर्देशिका

मुख्य कार्यालय शिमला –171009

क सं	पदनाम	पदों की संख्या	ग्रेड पे	संशोधित वेतनमान
1.	अतिरिक्त निदेशक	1	8400	15600-39100
2.	संयुक्त निदेशक/संयुक्त नियंत्रक	2	7600	15600-39100
3.	उप निदेशक/उप नियंत्रक	7	6600	15600-39100
4.	सहायक निदेशक/सहायक नियंत्रक	9	5400	15600-39100
5.	अनुभाग अधिकारी	34	5000	10300-34800
6.	कनिष्ठ लेखा परीक्षक	61	3800	10300-34800
7.	कनिष्ठ सहायक	3	3600	10300-34800
8.	लिपिक	4	1900	5910-20200
9.	चालक	1	2000	5910-20200
10	प्रतिलिपि यंत्र चालक	1	1900	5910-20200
11.	दफतरी	1	1900	5910-20200
12	चपरासी	6	1300	4900-10680
	कुल	**130**		

....